

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 440 /2022 दिनांक : 09.02.2022

श्री प्रह्लाद राय शर्मा (RJ0327), विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कम-01, पाली को दिनांक 14.01.2022 से 19.01.2022 तक 06 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री अग्रवाल की अनुपस्थिति में विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कम-02, पाली ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कम-01, पाली के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
09-02-2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/32/2000/916

दिनांक : 09.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कम-01, पाली को उनके पत्रांक 09 दिनांक 20.01.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री प्रह्लाद राय शर्मा (RJ0327), विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कम-01, पाली।
4. विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कम-02, पाली।

सहायक रजिस्ट्रार
9.2.2022